8

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **मनोज गोयल**

<u>अध्यक्ष</u>

प्रकरण कमांक निगरानी 1304–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक सोडलपुर तहसील रहटगांव जिला हरदा प्रकरण कमांक 31/अ–12/2013–14.

1– मुकेश आत्मज शिवनारायण गूर्जर
2– शुभम नाबालिग आत्मज जयनारायण गूर्जर
बली पिता जयनारायण गूर्जर
निवासीगण ग्राम पानतलाई
तहसील रहटगांव जिला हरदा
3– अनीता पत्नी दिनेश कुमार अग्रवाल
निवासी बंसल वस्त्रालय, माधौगंज जिला विदिशा ....आवेदकगण

<u>**विरूद्ध**</u>

रामनारायण आत्मज भगवान गूर्जर
कृषक ग्राम पानतलाई
निवासी गली नं. 5
नेहरू स्टेडियाम के पास हरदा
तहसील व जिला हरदा ....अनावेदक

श्री नीलेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक सोडलपुर तहसील रहटगांव जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पानतलाई स्थित भूमि सर्वे कमांक 24/2 एवं 25/1 रकबा 1.61 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक,

सोडलपुर तहसील रहटगांव जिला हरदा द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ–12/2013–14 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 24–6–14 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24–6–14 में दिनांक 2–4–14 एवं 19–6–14 को पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र जारी करना दर्शाया गया है, परन्तु उक्त सूचना पत्र की तामीली आवेदिका कमांक 3 पर नहीं हुई है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वयं अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौके पर अनावेदक की कोई भूमि शेष नहीं बचती है, और उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विकय आवेदिका कमांक 3 को कर दिया गया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि नक्शा एवं मौके पर प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति मेल नहीं खाती है ।

(4) संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में स्वयं तहसील न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सीमांकन संबंधी प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक के शपथपूर्वक किये गये कथनों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि का नक्शा सही नहीं पाया गया है, और ऐसे नक्शे के आधार पर किया गया सीमांकन औचित्यहीन है ।

(5) 2015 एम.पी.आर.डी 119 एवं एम.पी.एल.जे. 2006 (2) पेज 126 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि सीमांकन–विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई– निकट के सवेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई– कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया– एक भी साक्षी नामित नहीं, ऐसा सीमांकन स्वीकार योग्य नहीं किया जा सकता है ।

(6) सीमांकन कार्यवाही में निकटवर्ती कृषकों को सूचना दी जाना आवश्यक है, जो कि नहीं दी गई है । इस तर्क के समर्थन में 2014 आर.एन. 303 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) यह निगरानी आदेशिका दिनांक 15–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, परन्तु दिनांक 15–6–15 को ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे आवेदकगण को निगरानी प्रस्तुत करना पड़े । आवेदकगण केवल प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में एक अन्य पक्षकार अमृतलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि तहसील न्यायालय में पक्षकार था, अतः यह निगरानी पक्षकारों के कुसंयोन के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) इस न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही को न तो रोका गया है, और न ही इस प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है । आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर कार्यवाही की गई है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन दिनांक 26–4–14 से स्पष्ट है कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदिका कमांक 3 को कर चुका है, और प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा भी आवेदकगण का है । ऐसी स्थिति में अनावेदक के आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में जारी सूचना पत्र की तामीली भी आवेदकगण सहित हितबद्ध पक्षकारों पर नहीं हुई है, इस कारण भी राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधि विपरीत है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक सोडलपुर तहसील रहटगांव जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–14 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर